



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1610/UK/1/2023-ESDW

दिनांक: 01.05.2023

श्री शैलेश बगौली,
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड,
नवाद खेड़ा, गोलापार, काठगोदाम,
काठगोदाम, उत्तराखंड 263126
ई-मेल : secy.dhe@nic.in

प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे,
विश्वविद्यालय मार्ग, हल्द्वानी (नैनीताल),
उत्तराखंड- 263139
ई-मेल : vc@uou.ac.in

विषय: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तराखंड की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तकों और अन्य लेखकों/प्रकाशकों द्वारा थारू व बुक्सा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में लिखे गए आपत्तिजनक अपशब्दों को हटवाए जाने के संबंध में डॉ. श्याम सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से दिनांक 16.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को डॉ. श्याम सिंह से दिनांक 16.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

- डॉ. श्याम सिंह,
पुत्र श्री राम सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
- डॉ. श्याम सिंह,
ग्राम-खेमपुर, तहसील, गदरपुर,
पोस्ट-गुलरभोज (बाजपुर),
जिला-उधमसिंह नगर,
उत्तराखंड-262401
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।